भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3040**

दिनांक 19 मार्च, 2020 को उत्‍तर के लिए

**सर्व सेवा केंद्रों पर प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी**

**3040. श्री संजय सिंह:**

क्‍या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार की सर्वसेवा केंद्रों में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी और इनमें कार्यरत अधिक पुरुष कर्मचारियों के बारे में जानकारी है जिसके कारण महिलाएं असहज हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन केंद्रों के प्रतिकूल माहौल को बदलने और इसे महिला-हितैषी बनाने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**श्रीमती स्‍मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : वन स्‍टॉप सैंटर(ओएससी) स्‍कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र प्रशासक, केस वर्कर, पैरामैडिकल कार्मिकों, परामर्शदाताओं तथा मल्‍टीपर्पज वर्कर का महिला होना आवश्‍यक है ताकि सुनिश्‍चित हो सके कि ओएससी महिला हितैषी हैं ।

ओएससी में गुणवत्‍ता का सुनिश्‍चय करने के लिए देश में राष्‍ट्रीय एवं राज्‍य स्‍तर पर प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की पहलें शुरू की गई हैं तथा यह एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्‍न प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्‍यम से अब तक ओएससी के कुल 3544 कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*